

(नियम 25 क की उप नियम (1) देखिये)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002, का नियम 54 देखिये
की धारा-4 ख की उपधारा (2) के अधीन (यथावत उत्तरांचल में लागू)

मान्यता के प्रमाण-पत्र के लिए प्रार्थना-पत्र

सेवा में,

असिस्टेंट कमिश्नर
/ सर्किल

मैं-----पुत्र/पत्नी,श्री-----उत्तरांचल राज्य में
----- नाम से व्यापारी की ओर व्यापार कर रहा/रही हूँ। उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट-1948
की धारा 4 ख की उपधारा (2) के अधीन मान्यता प्रमाण-पत्र के लिए प्रार्थना-पत्र देता / देती हूँ। उक्त प्रयोजन
के लिए निम्नलिखित ब्यौरा देता/देती हूँ :-

- 1- व्यक्ति/व्यापारी के साथ प्रार्थना पत्र देने वाले व्यक्ति की प्रास्थिति या उसका सम्बन्ध (अर्थात् प्रबन्धक, सांझीदार, स्वामी, सरकारी कारोबार आदि का प्रभारी अधिकारी)
- 2- उत्तरांचल राज्य में व्यापार के मुख्य स्थान का नाम और पूरा पता
- 3- उत्तरांचल राज्य में व्यापार के अन्य स्थान (स्थानों) का नाम और पूरा पता
- 4- उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट (यथा उत्तरांचल में लागू) और सेन्ट्रल टैक्स ऐक्ट के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का ब्यौरा।
- 5- स्वामी/स्वामियों ऐसे सभी व्यक्ति के जिनका कारोबार में कोई स्वत्व हो (ब्यौरे के लिए पीछे देखिये)
- 6- ऐसे विज्ञापित माल का विवरण जिसके सम्बन्ध में मान्यता प्रमाण पत्र लिखा जा रहा है।
- 7- दिनांक जब विज्ञापित माल का निर्माण शुरू किया गया।
- 8- स्तम्भ-6 में उल्लिखित विज्ञापित माल के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त माल या माल की श्रेणी का / के नाम

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त ब्यौरा जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है, ठीक है।

दिनांक

साक्षी का नाम

पिता/ प्रति का नाम

पूरा पता

प्रार्थी का हस्ताक्षर किसी वकील द्वारा प्रमाणित / किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया जायेगा जिसे
असिस्टेंट कमिश्नर, व्यापार कर जानता हो।

प्रार्थी का पूरा नाम-----

हस्ताक्षर-----

